

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरिमोहन मीना, आई0ए0एस0

(Bank Case)

Manual no- 77/2022

कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड़, बसावनगुडी, बैंगलोर-560004 एवं शाखा कार्यालय- 1-सी-18, एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड़, तलवण्डी, कोटा राजस्थान-324005 - प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

1. श्रीमती नीरज सक्सेना पुत्र श्री धर्मेन्द्र सक्सेना (ऋणी / अप्रार्थीगण)  
पता- मकान नं.- 5 जे 24, महावीर नगर-3, कोटा (राज.)
2. श्री धर्मेन्द्र सक्सेना पुत्र श्री सोबरन सिंह (सहऋणी)  
पता- मकान नं.- 5 जे 24, महावीर नगर-3, कोटा (राज.)
3. श्री देवी लाल पुत्र श्री प्रभु लाल (जमानती)  
पता: मकान नं. 845-ए, आर.के.पुरम, कोटा  
प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्वोरिटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेषियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 17-05-2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड़, बसावनगुडी, बैंगलोर-560004 एवं शाखा कार्यालय- 1-सी -18, एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड़, तलवण्डी, कोटा राजस्थान से अप्रार्थी/ऋणी को प्रथम ऋण 12,50,000/- (अक्षरे: रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र ) ऋण राशि दिनांक 28.07.2016 व द्वितीय ऋण 6,00,000/- (अक्षरे: रूपये छ लाख मात्र) ऋण राशि दिनांक 24.08.2016 व तृतीय ऋण 5,00,000/- (अक्षरे: रूपये पाच लाख मात्र ) ऋण राशि दिनांक 29.06.2017 इस प्रकार तीनों खातों में कुल ऋण रु. 23,50,000/- (अक्षरे: रूपये तेईस लाख पचास हजार मात्र ) लिया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्रीमती नीरज सक्सेना पत्नि श्री धर्मेन्द्र सक्सेना की सम्पत्ति जो कि मकान नं. 5 जे 24, महावीर नगर-3, जिला कोटा (राज.) में स्थित है। जिसकी माप लगभग 332.80 वर्ग फीट है। जो जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2014 से श्रीमती नीरज सक्सेना पत्नी श्री धर्मेन्द्र सक्सेना के नाम है। सीमाएं- पूर्व में- मकान नं. 5 जे 23, पश्चिम में- 5 जे 25, उत्तर में- रोड़, दक्षिण में- 5 जे 63 है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 31.07.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी उसके खाते मे 23,60,202/- (अक्षरे रूपये तेईस लाख साठ हजार दो सौ दो मात्र।) बकाया रकम दिनांक 02.08.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है।

अमर

प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीयसंस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्रीमती नीरज सक्सेना पत्नि श्री धर्मेन्द्र सक्सेना की सम्पत्ति जो कि मकान नं. 5 जे 24, महावीर नगर-3, जिला कोटा (राज.) में स्थित है। जिसकी माप लगभग 332.80 वर्ग फीट है। जो जर्ज विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2014 से श्रीमती नीरज सक्सेना पत्नी श्री धर्मेन्द्र सक्सेना के नाम है। सीमाएं- पूर्व में- मकान नं. 5 जे 23, पश्चिम में- 5 जे 25, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- 5 जे 63 है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्व कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 17-05-2022 को सुनाया गया।



(हरि मोहन मीना)  
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)